कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा)रायगढ़ (छ0ग0)

फोन नं. व फैक्स 07762– 222158 ईमेल actw.raigarh@gmail.com / actd.raigarh@nic.in

//प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक/ 1108 /आ.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2022–23 रायगढ़, दिनांक 15 /06/2023

रायगढ़ जिला में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् **अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है, कि शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के पंजीयन/आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइड पर ऑनलाईन की जा रही है।

वर्ष 2022–23 से **अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों** को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार **NSP Portal-scholarships.gov.in** आवेदन किया जाना है। तथा इस पोर्टल में सफल पंजीयन के पश्चात आवेदन की शेष जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पोर्टल **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in में आवेदन करना अनिवार्य है। उक्त दोनो पोर्टल पर आवेदन नही करने पर छात्रवृत्ति भुगतान नही होगा।** छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीकरण, पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गयी है :–

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
01	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईल आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण हेतु)	10.06.2022 से 15.07.2022 तक
02	ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने हेतु	10.06.2022 से 25.07.2022 तक
03	स्वीकृति आदेश करने की तिथि	10.06.2022 से 10.08.2022 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022–23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकृत नही किये जावेंगे एवं ड्राफ्ट प्रपोजल एवं स्वीकृति लॉक करने का अवसर भी प्रदान नही किया जावेंगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ, (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/ 1109 /आ.वि./ऑ.ला.पो.मै.छा./2022–23 रायगढ़, दिनांक 15/06/2023

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों मे 03 दिवस तक जिनकी पहुच ग्रामीण अंचलों तक हो प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. सर्व कार्यालय प्रमुख/प्राचार्य शासकीय/अशासकीय वि0विद्यालय/महाविद्यालय/आई.टी.आई ....जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिवेदन 28/6/23

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास रायगढ़, (छ0ग0)

RK13(Master) 20-21